संoसंo–1/पoमेoकॉoअo–07/2018– 44(1)40

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 8 / 01/2019

विषयः– **पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, 250 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु कुल रु0 5540,07,00,000/– (रुपये पाँच हजार पाँच सौ चालीस करोड़ सात लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 5,00,00,000/– (रुपये पाँच करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 5,00,00,000/– (रुपये पाँच करोड़) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना 48.40 एकड़ परिसर में अवस्थित राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल है, जिसकी स्थापना वर्ष 1925 में ब्रिटिश शासन काल में ही हुई थी। वर्तमान में यह चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल 150 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता एवं 1750 शैय्या क्षमता के साथ संचालित है।

2– पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में क्षमता से कई गुणा अधिक रोगी चिकित्सा हेतु आते हैं। राज्य की जनसंख्या के अनुपात में राज्य में चिकित्सकों की भी कमी है। तदनुसार पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को फेजवार (तीन चरणों में) 250 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित कर देश के सबसे बड़े चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना है।

3– इस योजना का प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव बिहार चिंकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना के माध्यम से आर्किटेक्ट परामर्शी मेसर्स सुरेश गोयल एण्ड एसोसिएट, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है, जिसके अनुसार पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के तीन चरणों में 250 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकास हेतु कुल रु0 5540,07,00,000/–(रुपये पाँच हजार पाँच सौ चालीस करोड़ सात लाख) मात्र की लागत आकलित है।

4– परियोजना प्रस्ताव में भवन निर्माण के अतिरिक्त Fire Fighting, Electrical Sub Station, Severage Treatment Plant (STP), Effluent Treatment Plant (ETP), Modular Operation Theatre, Nurse call system, Medical Gas Pipeline System, Pneumatic tube system for transit of medicine and pathological samples and test analysis reports, Integrated Shredder and Sterlizer, Central sterile services department (CSSD), Pneumatic waste and laundry collection system (PWLCS), Computer Server सहित Procurement of Medical and Non Medical furniture, Multi level Car parking (MLCP), Procurement of Medical Equipment & Demolition of old buildings इत्यादि का भी प्रावधान किया गया है।

5– बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पत्रांक–2253/आ0प्र0, दिनांक–17.07.2012 के आलोक में अस्पताल खण्ड का भवन Base Isolation तकनीक का प्रयोग करते हुए भूकम्परोधी बनाया जाना प्रस्तावित है।

क्रमशः

6– आर्किटेक्ट परामर्शी द्वारा तैयार परियोजना प्रस्ताव की समीक्षा समय–समय पर उच्च स्तर पर की गई, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक एवं अन्य तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल थे। इन समीक्षा बैठकों में प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए प्रस्तुत प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। परियोजना प्रस्ताव के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं–

(क) भूमि की उपलब्धता– पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के परिसर का कुल क्षेत्रफल 48.40 एकड़ है। वर्तमान में उपलब्ध भूमि का सही रूप से उपयोग नहीं हो पाने के कारण इसका Floor Area Ratio (FAR) वर्तमान में लगभग 0.90 मात्र है, जिसे बढ़ाकर अधिकतम सीमा 2.50 करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में परिसर के अधिकतर भवन G+1 अथवा G+2 हैं, जिनके स्थान पर बहुमंजिली भवनों का निर्माण होगा।

(ख) योजना का स्वरूप– यह परियोजना तीन फेज में, कुल 7 (सात) वर्षों की अवधि में पूरा होगा। फेजवार विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	फेज	निर्मित होने वाले भवन	क्षेत्रफल
1	फेज–I	हॉस्पीटल ब्लॉक (दो), नर्सेस हॉस्टल, चिकित्सक आवास, टाईप–II आवास, गर्ल्स हॉस्टल, सेन्ट्रल यूटिलिटी (यथा–लॉन्ड्री, ब्लड बैंक, रैन बसेरा–450 बेड आदि), मल्टीलेबल पार्किंग (940 वाहन)।	30,13,382 वर्गफीट
2	फेज–II	हॉस्पीटल ब्लॉक (1698 बेड), मेडिकल कॉलेज (250 नामांकन क्षमता के अनुरूप), ब्यॉज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, ऑडिटोरियम मल्टीलेबल पार्किंग (516 वाहन), स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स।	22,09,419 वर्गफीट
3	फेज–III	हॉस्पीटल ब्लॉक (1573 बेड), चिकित्सक आवास–टाईप–IV एवं टाईप–V, टाईप–II आवास, मल्टीलेबल पार्किंग (390 वाहन)।	20,21,727 वर्गफीट
कुल योग–			**72,44,528 वर्गफीट**

(ग) वित्तीय पहलू– इस योजना में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल दोनों का निर्माण शामिल है। इस योजना की कुल लागत एवं ब्रेकअप निम्नवत् है–

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	फेज–I	फेज–II	फेज–III	कुल योग
1	फेजवार परियोजना की कुल लागत	2039.43 करोड़	1771.73 करोड़	1728.91 करोड़	5540.07 करोड़
2	फेजवार प्रस्तावित शैय्याओं की संख्या	2191 बेड	1698 बेड	1573 बेड	5462 बेड
3	250 नामांकन क्षमता (एम0बी0बी0एस0) हेतु भवन निर्माण की लागत	–	222.14 करोड़	–	222.14 करोड़
4	आवासीय भवनों के निर्माण की कुल लागत	478.21 करोड़	254.02 करोड़	433.99 करोड़	1166.22 करोड़
5	मशीन उपकरणों की कुल लागत (सेन्टेज सहित)	319.18 करोड़	275.53 करोड़	288.39 करोड़	883.10 करोड़
6	अस्पताल भवन के निर्माण की कुल लागत	1242.03 करोड़	1020.04 करोड़	1006.54 करोड़	3268.61 करोड़
7	प्रति शैय्या अस्पताल भवन की औसत लागत	56.68 लाख	60.07 लाख	63.99 लाख	59.84 लाख
8	प्रति शैय्या मशीन उपकरण हेतु औसत लागत	14.56 लाख	16.22 लाख	18.33 लाख	16.16 लाख
9	प्रति शैय्या सम्पूर्ण अस्पताल की औसत लागत	71.24 लाख	76.29 लाख	82.32 लाख	76.01 लाख

क्रमशः

7– परियोजना का कुल प्राक्कलन CPWD Plint Area Rate जो 2012 में प्रकाशित हुआ है, के आधार पर तैयार किया गया है, परंतु इसे वर्तमान दर पर लाने हेतु CPWD द्वारा पटना शहरी हेतु 01.04.2018 के प्रभाव से अधिसूचित Cost Index 37% जोड़ा गया है।

8– परियोजना प्रस्ताव की कुल लागत की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई है। भारत सरकार द्वारा संचालित अस्पताल निर्माण की विभिन्न योजनाओं की प्रति शैय्या औसत लागत एवं पी0एम0सी0एच0 के अस्पताल निर्माण की प्रति शैय्या औसत लागत की तुलनात्मक विवरणी निम्नरुपेण है–

क्र0 सं0	योजना का नाम	संस्थान का नाम	बेड की संख्या	कुल लागत	प्रति बेड औसत लागत
1	PMSSY - III (वर्ष–2013)	SKMCH, Muzaffarpur	195	150.00 cr.	76.92 lakh
2		DMCH, Darbhanga	210	150.00 cr.	71.43 lakh
3	PMSSY – IV (वर्ष–2015–16)	PMCH, Patna	211	200.00 cr.	94.79 lakh
4		ANMMCH, Gaya	176	200.00 cr.	1.14 cr.
5		JLNMCH, Bhagalpur	200	200.00 cr.	1.00 cr.
6	**PMCH Upgradation (Hospital Part) (वर्ष–2018–19)**	**PMCH, Patna**	**5462**	**4151.71 cr.**	**76.01 lakh**

9– प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव में मशीन उपकरणों की कुल लागत रु0 883.10 करोड़ आकलित है, जो अस्पताल निर्माण की कुल लागत रु0 4151.71 करोड़ का 21.27 (लगभग) प्रतिशत है। उल्लेख्य है कि भारत सरकार की 5 (पाँच) नये एम्स (पटना, रायपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, ऋषिकेष) की 960 शैय्या के प्रथम फेज के अस्पताल निर्माण की योजना की कुल लागत रु0 820.00 करोड़ थी, जिसमें रु0 200.00 करोड़ मेडिकल उपकरणों के लिए था। इस प्रकार मेडिकल उपकरणों की लागत का प्रतिशत 24.39 था।

10– योजना का क्रियान्वयन Turnkey आधार पर किया जायेगा।

11– इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के पुराने भवनों को फेजवार इस प्रकार तोड़ा जायेगा कि चिकित्सकों, नर्सों, पारा मेडिकल स्टाफ एवं छात्र–छात्राओं को न्यूनतम कठिनाइयों का सामना करना पड़े एवं यहाँ आने वाले रोगियों को चिकित्सा में किसी प्रकार की कमी या कठिनाई का सामना न करना पड़े।

12– योजना के क्रियान्वयन के समय पुराने भवनों को तोड़ने से पूर्व पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में उपलब्ध सभी मशीन उपकरणों एवं उपस्करों का ऑडिट कराते हुए उसकी इन्वेन्ट्री तैयार करायी जायेगी। इस कार्य हेतु एजेंसी का चयन ससमय विभाग द्वारा किया जायेगा। नये भवन निर्मित होने के पश्चात् आवश्यकतानुसार संस्थान के पुराने मशीन उपकरणों एवं उपस्करों का संस्थापन उपयोग पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में ही अथवा राज्य के अन्य सरकारी चिकित्सा संस्थानों में किया जा सकेगा।

13– अतः विभागीय राज्यादेश सं0–1377(1), दिनांक–06.12.2018 द्वारा पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, 250 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु कुल रु0 5540,07,00,000/– (रुपये पाँच हजार पाँच सौ चालीस करोड़ सात लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्ययादेश सं0–..... दिनांक–..... द्वारा रु0 5,00,00,000/– (रुपये पाँच करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 5,00,00,000/– (रुपये पाँच करोड़) मात्र का आवंटन दी जाती है।

क्रमशः

14— यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561/वि0(2), दिनांक—17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक—06.05.06, 2938/वि0(2), एवं दिनांक—08.04.08, 3758/वि0, दिनांक—31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

15— इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या—20, मुख्य शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप—शीर्ष—0101—मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड—20—4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53—मुख्य निर्माण कार्य के 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2018—19 में उपबंधित राशि से एवं आगामी वित्तीय वर्षों में आवश्यकतानुसार उपबंध कराकर किया जाएगा।

16— इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

17— अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0—PLA-244, विपत्र कोड—K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

18— यह कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा कराया जायेगा। बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना निविदा की शर्तों में सुयोग्य एवं अनुभवी एजेंसी के चयन की सुस्पष्ट प्रक्रिया अंकित करेंगे।

19— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

20— इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:—1/प0मे0कॉ0अ0—07/2018— 48(1)50 /स्वा0, पटना, दिनांक— 8/01/2019

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा—1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—1, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एव कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

संख्या0–1/प0मे0कॉ0अ0–07/2018– 54(1)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 8 /01 /2019

विषयः– पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, 250 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु0 5540,07,00,000/– (रुपये पाँच हजार पाँच सौ चालीस करोड़ सात लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 5,00,00,000/– (रुपये पाँच करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना 48.40 एकड़ परिसर में अवस्थित राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल है, जिसकी स्थापना वर्ष 1925 में ब्रिटिश शासन काल में ही हुई थी। वर्तमान में यह चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल 150 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता एवं 1750 शैय्या क्षमता के साथ संचालित है।

2– पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में क्षमता से कई गुणा अधिक रोगी चिकित्सा हेतु आते हैं। राज्य की जनसंख्या के अनुपात में राज्य में चिकित्सकों की भी कमी है। तदनुसार पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को फेजवार (तीन चरणों में) 250 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित कर देश के सबसे बड़े चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना है।

3– इस योजना का प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना के माध्यम से आर्किटेक्ट परामर्शी मेसर्स सुरेश गोयल एण्ड एसोसिएट, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है, जिसके अनुसार पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के तीन चरणों में 250 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकास हेतु कुल रु0 5540,07,00,000/–(रुपये पाँच हजार पाँच सौ चालीस करोड़ सात लाख) मात्र की लागत आकलित है।

4– परियोजना प्रस्ताव में भवन निर्माण के अतिरिक्त Fire Fighting, Electrical Sub Station, Severage Treatment Plant (STP), Effluent Treatment Plant (ETP), Modular Operation Theatre, Nurse call system, Medical Gas Pipeline System, Pneumatic tube system for transit of medicine and pathological samples and test analysis reports, Integrated Shredder and Sterlizer, Central sterile services department (CSSD), Pneumatic waste and laundry collection system (PWLCS), Computer Server सहित Procurement of Medical and Non Medical furniture, Multi level Car parking (MLCP), Procurement of Medical Equipment & Demolition of old buildings इत्यादि का भी प्रावधान किया गया है।

5– बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पत्रांक–2253/आ0प्र0, दिनांक–17.07.2012 के आलोक में अस्पताल खण्ड का भवन Base Isolation तकनीक का प्रयोग करते हुए भूकम्परोधी बनाया जाना प्रस्तावित है।

क्रमशः

6– आर्किटेक्ट परामर्शी द्वारा तैयार परियोजना प्रस्ताव की समीक्षा समय–समय पर उच्च स्तर पर की गई, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक एवं अन्य तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल थे। इन समीक्षा बैठकों में प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए प्रस्तुत प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। परियोजना प्रस्ताव के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं–

(क) भूमि की उपलब्धता– पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के परिसर का कुल क्षेत्रफल 48.40 एकड़ है। वर्तमान में उपलब्ध भूमि का सही रूप से उपयोग नहीं हो पाने के कारण इसका Floor Area Ratio (FAR) वर्तमान में लगभग 0.90 मात्र है, जिसे बढ़ाकर अधिकतम सीमा 2.50 करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में परिसर के अधिकतर भवन G+1 अथवा G+2 हैं, जिनके स्थान पर बहुमंजिली भवनों का निर्माण होगा।

(ख) योजना का स्वरूप– यह परियोजना तीन फेज में, कुल 7 (सात) वर्षों की अवधि में पूरा होगा। फेजवार विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	फेज	निर्मित होने वाले भवन	क्षेत्रफल
1	फेज–I	हॉस्पीटल ब्लॉक (दो), नर्सेस हॉस्टल, चिकित्सक आवास, टाईप–II आवास, गर्ल्स हॉस्टल, सेन्ट्रल यूटिलिटी (यथा–लॉन्ड्री, ब्लड बैंक, रैन बसेरा–450 बेड आदि), मल्टीलेबल पार्किंग (940 वाहन)।	30,13,382 वर्गफीट
2	फेज–II	हॉस्पीटल ब्लॉक (1698 बेड), मेडिकल कॉलेज (250 नामांकन क्षमता के अनुरूप), ब्यॉज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, ऑडिटोरियम मल्टीलेबल पार्किंग (516 वाहन), स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स।	22,09,419 वर्गफीट
3	फेज–III	हॉस्पीटल ब्लॉक (1573 बेड), चिकित्सक आवास–टाईप–IV एवं टाईप–V, टाईप–II आवास, मल्टीलेबल पार्किंग (390 वाहन)।	20,21,727 वर्गफीट
कुल योग–			**72,44,528 वर्गफीट**

(ग) वित्तीय पहलू– इस योजना में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल दोनों का निर्माण शामिल है। इस योजना की कुल लागत एवं ब्रेकअप निम्नवत् है–

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	फेज–I	फेज–II	फेज–III	कुल योग
1	फेजवार परियोजना की कुल लागत	2039.43 करोड़	1771.73 करोड़	1728.91 करोड़	5540.07 करोड़
2	फेजवार प्रस्तावित शैय्याओं की संख्या	2191 बेड	1698 बेड	1573 बेड	5462 बेड
3	250 नामांकन क्षमता (एम0बी0बी0एस0) हेतु भवन निर्माण की लागत	–	222.14 करोड़	–	222.14 करोड़
4	आवासीय भवनों के निर्माण की कुल लागत	478.21 करोड़	254.02 करोड़	433.99 करोड़	1166.22 करोड़
5	मशीन उपकरणों की कुल लागत (सेन्टेज सहित)	319.18 करोड़	275.53 करोड़	288.39 करोड़	883.10 करोड़
6	अस्पताल भवन के निर्माण की कुल लागत	1242.03 करोड़	1020.04 करोड़	1006.54 करोड़	3268.61 करोड़
7	प्रति शैय्या अस्पताल भवन की औसत लागत	56.68 लाख	60.07 लाख	63.99 लाख	59.84 लाख
8	प्रति शैय्या मशीन उपकरण हेतु औसत लागत	14.56 लाख	16.22 लाख	18.33 लाख	16.16 लाख
9	प्रति शैय्या सम्पूर्ण अस्पताल की औसत लागत	71.24 लाख	76.29 लाख	82.32 लाख	76.01 लाख

क्रमशः

7— परियोजना का कुल प्राक्कलन CPWD Plint Area Rate जो 2012 में प्रकाशित हुआ है, के आधार पर तैयार किया गया है, परंतु इसे वर्तमान दर पर लाने हेतु CPWD द्वारा पटना शहरी हेतु 01.04.2018 के प्रभाव से अधिसूचित Cost Index 37% जोड़ा गया है।

8— परियोजना प्रस्ताव की कुल लागत की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई है। भारत सरकार द्वारा संचालित अस्पताल निर्माण की विभिन्न योजनाओं की प्रति शैय्या औसत लागत एवं पी0एम0सी0एच0 के अस्पताल निर्माण की प्रति शैय्या औसत लागत की तुलनात्मक विवरणी निम्नरुपेण है—

क्र0 सं0	योजना का नाम	संस्थान का नाम	बेड की संख्या	कुल लागत	प्रति बेड औसत लागत
1	PMSSY - III (वर्ष—2013)	SKMCH, Muzaffarpur	195	150.00 cr.	76.92 lakh
2		DMCH, Darbhanga	210	150.00 cr.	71.43 lakh
3	PMSSY – IV (वर्ष—2015—16)	PMCH, Patna	211	200.00 cr.	94.79 lakh
4		ANMMCH, Gaya	176	200.00 cr.	1.14 cr.
5		JLNMCH, Bhagalpur	200	200.00 cr.	1.00 cr.
6	**PMCH Upgradation (Hospital Part) (वर्ष—2018—19)**	**PMCH, Patna**	**5462**	**4151.71 cr.**	**76.01 lakh**

9— प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव में मशीन उपकरणों की कुल लागत रु0 883.10 करोड़ आकलित है, जो अस्पताल निर्माण की कुल लागत रु0 4151.71 करोड़ का 21.27 (लगभग) प्रतिशत है। उल्लेख्य है कि भारत सरकार की 5 (पाँच) नये एम्स (पटना, रायपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, ऋषिकेष) की 960 शैय्या के प्रथम फेज के अस्पताल निर्माण की योजना की कुल लागत रु0 820.00 करोड़ थी, जिसमें रु0 200.00 करोड़ मेडिकल उपकरणों के लिए था। इस प्रकार मेडिकल उपकरणों की लागत का प्रतिशत 24.39 था।

10— योजना का क्रियान्वयन Turnkey आधार पर किया जायेगा।

11— इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के पुराने भवनों को फेजवार इस प्रकार तोड़ा जायेगा कि चिकित्सकों, नर्सों, पारा मेडिकल स्टाफ एवं छात्र—छात्राओं को न्यूनतम कठिनाइयों का सामना करना पड़े एवं यहाँ आने वाले रोगियों को चिकित्सा में किसी प्रकार की कमी या कठिनाई का सामना न करना पड़े।

12— योजना के क्रियान्वयन के समय पुराने भवनों को तोड़ने से पूर्व पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में उपलब्ध सभी मशीन उपकरणों एवं उपस्करों का ऑडिट कराते हुए उसकी इन्वेन्ट्री तैयार करायी जायेगी। इस कार्य हेतु एजेंसी का चयन ससमय विभाग द्वारा किया जायेगा। नये भवन निर्मित होने के पश्चात् आवश्यकतानुसार संस्थान के पुराने मशीन उपकरणों एवं उपस्करों का संस्थापन उपयोग पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में ही अथवा राज्य के अन्य सरकारी चिकित्सा संस्थानों में किया जा सकेगा।

13— अतः विभागीय राज्यादेश सं0—1377(1), दिनांक—06.12.2018 द्वारा पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, 250 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु0 5540,07,00,000/— (रुपये पाँच हजार पाँच सौ चालीस करोड़ सात लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की वित्तीय वर्ष 2018—19 में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018—19 में रु0 5,00,00,000/— (रुपये पाँच करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रमशः

14– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938/वि0(2), एवं दिनांक–08.04.08, 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

15– इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप–शीर्ष–0101–मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड–20–4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

16– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

17– अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PLA-244, विपत्र कोड–K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

18– यह कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा कराया जायेगा। बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना निविदा की शर्तों में सुयोग्य एवं अनुभवी एजेंसी के चयन की सुस्पष्ट प्रक्रिया अंकित करेंगे।

19– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

20– इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–1/प0मे0कॉ0अ0–07/2018 के पृष्ठ–23/टि0 पर प्राप्त है।

21– इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

22– यह मात्र व्ययादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

8/1/19

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–1/प0मे0कॉ0अ0–07/2018– 541(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 8/01/2019

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एव कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8.1.19

सरकार के विशेष सचिव